

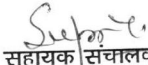
सुविधाओं अधोसंरचना का विकास नियमानुसार किया जाना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जावें।

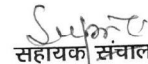
17. संलग्न अभिन्यास में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा, तथा मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरुद्ध नहीं किया जावें।
18. स्थल पर अभिन्यास से अनुमोदन संबंधी जानकारी 1.50 x 1.25 मीटर साईज के बोर्ड पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा। व इसे विकास स्थल पर ऐसे स्थान पर प्रदर्शित किया जावें जो कि आमजन सुगमता से पढ़ सके।
19. संस्था ए नगर पंचायत बरेली को मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 31 तथा अन्य समस्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
20. विद्युत लाईन के नीचे कोई भूखण्ड मान्य नहीं किये जायेगे विद्युत लाईन से नियमानुसार खड़े रूप में 3.7 मीटर एवं आड़े के रूप में 1.2 मीटर खुल्ला क्षेत्र छोड़ना होगा।
21. यह अनुमति आवेदक द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत शपथ पत्र में उल्लेखित वर्जन के आधार पर दी जा रही है कि शपथकर्ता इस भूमि का भू-स्वामी अथवा मुक्तार आम जो उसका वैधानिक कर्ताधर्ता है। साथ ही इस अनुमति का उपयोग वैसा ही किया जावेगा जैसे कि अनुमति है व जैसा कि अनुमति की उल्लेखित शर्तों में उल्लेख है।
22. विभिन्न नागरिक सुविधाओं (सर्विसेस) हेतु सीवेज टैंक, ओवर हैड टैंक, गारबेज डिस्पोजल एवं कालोनी का कचरा इकट्ठा कर उसका निष्पादन की व्यवस्था की जाना होगी।
23. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन एवं भूमि के वाद-विवाद एवं न्यायालयीन प्रकरण प्रचलन में होने के स्थिति में यह अनुमोदन निरस्त मानी जावेगी।

संलग्न: अभिन्यास की प्रति

पृ. क्रमांक/ 39570398 /जि.का./नयानि/11  
प्रतिलिपि,

1. मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगर पंचायत बरेली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
2. नजूल अधिकारी (राजस्व) जिला रायसेन की ओर सूचनार्थ।
3. उपपंजीयक फर्म्स एवं रजिस्ट्रार ..... जिला रायसेन की ओर कृपया सूचनार्थ।
4. आवेदक श्री अमित कुमार वर्मा पुत्र श्री महेश कुमार वर्मा, श्रीमती यशोदा बाई पुत्री नरबदा प्रसाद निवासी बरेली की ओर सूचनार्थ।

de   
सहायक संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
जिला कार्यालय विदिशा, रायसेन (म.प्र.)  
विदिशा, दिनांक 14/3/11

de   
सहायक संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
जिला कार्यालय विदिशा, रायसेन (म.प्र.)